



Neutral Citation No. - 2026:AHC:25868-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

दाण्डिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - **2200/2026**

भगवत प्रसाद अग्रवाल

.....याचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचीगण के अधिवक्ता: श्रीप्रकाश त्रिपाठी

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति

माननीय अचल सचदेव, न्यायमूर्ति

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान रिट याचिका थाना टहरौली, जनपद झाँसी में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2, 3(1) के अंतर्गत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 0001/2026 के फलस्वरूप हुई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दिनांक 1.1.2026 को खंडित (क्वैश) करने हेतु दायर की गई है।
3. याची के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से, प्रथम दृष्टया याची के विरुद्ध शिकायत किए गए किसी भी अपराध का खुलासा नहीं होता है और इस प्रकार, वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट खंडित किए जाने योग्य है।
4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से, प्रथम दृष्टया याची के विरुद्ध शिकायत किए गए अपराध का स्पष्ट रूप से खुलासा होता है और इस प्रकार, 'तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्ला जिलानी', जो (2017) 2 एससीसी 779 में रिपोर्ट किया गया है, और 'नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य', जो (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 315 में रिपोर्ट किया गया है, के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय दाण्डिक अपील संख्या 843/2024, 'प्रवर्तन निदेशालय बनाम नीरज त्यागी एवं अन्य' के आलोक में प्रथम सूचना रिपोर्ट को खंडित नहीं किया जा सकता है।
5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार करने के बाद तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा उद्धृत प्रासंगिक कानून तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है, हमारी यह राय है कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को खंडित नहीं किया जा सकता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. अतः, प्रथम सूचना रिपोर्ट को खंडित करने की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।
7. तथापि, यदि याची उचित न्यायालय के समक्ष अग्रिम/नियमित जमानत के लिए आवेदन दायर करता है, तो उसके जमानत आवेदन पर कानून के अनुसार यथासंभव शीघ्रता से विचार कर निस्तारण किया जाए।
8. इन टिप्पणियों के साथ, वर्तमान रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

5 फरवरी, 2026

के.यू.

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"